अध्याय V
निष्कर्ष तथा सिफारिशे

5.1 निष्कर्ष

भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं तथा बालको के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध करने के उपाय कर रही हैं किंतु शौचालयों के ख़राब रखरखाव, चिन्हित निधियों के अभाव, शौचालयों में जल की ख़राब उपलब्धता इत्यादि के कारण इस उद्देश्य की प्राप्ति में कमियां थी एमएचआरडी ने कॉरपोरेट क्षेत्र में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के योगदान से विद्यालयों में स्वच्छता संबंधी सेवाओं में सुधार लाने के लिए सितम्बर 2014 में एसवीए शुरू किया। सीपीएसईज़ ने अपने सीएसआर बजट में से निधियो का उपयोग करते हुए एसवीए में भागीदारी की। उनका अधिदेश एक वर्ष के भीतर अर्थात 15 अगस्त 2015 तक प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बालिकाओं तथा बालकों के लिए पृथक-पृथक कम से कम एक प्रयोज्य शौचालय का निर्माण करना था। 53 सीपीएसईज़ ने इस परियोजना में भागीदारी की और एमएचआरडी के अनुसार 1,40,997 शौचालय निर्मित किये।

लेखापरीक्षा ने कुल ₹2,162.60 करोड़ की लागत पर निर्मित 1,30,703 शौचालयों 5,000 से अधिक शौचालय बनाने वाली प्रति की पीएसई/ सात सीपीएसईज़, अर्थात पीएफसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) तथा अपनी सात सहायक कंपनियों सहित कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (एमओपी, एमओसी तथा एमओपीएनजी अधीन) द्वारा शौचालयों के निर्माण के क्रियाकलापों की जांच की। बहुस्तरीय सांख्यिकीय नामुनाचायण के माध्यम से चयनित 2,695 शौचालयों का उनकी उपलब्धता तथा उपादेयता का आकलन करने हेतु स्थलीय सर्वेक्षण भी किया गया।

सर्वेक्षण के दौरान, 200 शौचालय सम्बद्ध विद्यालयों में नहीं पाए गए और 86 शौचालय केवल आंशिक रूप से निर्मित पाए गए। (नमूने का 11 प्रतिशत) इनमें से, 79 शौचालयों के सम्बन्ध में भुगतान वाउचर/ यूसीज़ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए, जिनमें अनियमितताओं के संकेत मिलते थे।

लेखापरीक्षा ने सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु अपनाये गए मापदंडों से मिलते-जुलते मापदंडों के आधार पर शौचालयों को ग्रेडिंग प्रदान की और पाया कि लेखापरीक्षा नमूने में शामिल शौचालयों में से केवल 25 प्रतिशत ने पांच/ चार सितारा ग्रेडिंग प्राप्त की जबकि 75 प्रतिशत शौचालयों ने 3 सितारा या उससे कम रेटिंग प्राप्त की, जो कि सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि निर्मित शौचालयों में से 30 प्रतिशत अबाधित जलापूर्ति, सफाई व्यवस्थाओं की कमी, शौचालयों को क्षति इत्यादि कारणवश प्रयोग में नहीं थे। नमूने में लगभग 72 प्रतिशत शौचालयों में अबाधित जलापूर्ति नहीं थे, जबकि सीपीएसईज़ को काम सौंपते समय इस सुविधा को महत्वपूर्ण बताते हुए इस पर बल देने के लिए कहाँ। अन्य सुविधाओं जैसे कि हस्त प्रक्षालन सुविधा, ढलान/ सीढ़ी इत्यादि उपलब्ध कराने में कमियाँ थीं। शौचालयों के त्रुटिपूर्ण निर्माण, अस्थायी/ चलित शौचालयों (स्थायी ढांचे के स्थान पर) का प्रावधान और क्षतिग्रस्त/ बहती हुई लीच पिट भी सर्वेक्षण में पाए गए।

सीपीएसईज़ के लिए उनके द्वारा निर्मित शौचालयों का तीन से पांच वर्षों तक रखरखाव किया जाना अनिवार्य था पर केवल तीन सीपीएसईज़/ पारंपरिक शौचालयों हेतु एनटीपीसी, आरईसी और सीआई एल-सहायक कंपनियां बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल और एसईसीएल) ने एमओयूज़/ संविदाओं में रखरखाव प्रावधान रखा पर बाद में इन प्रावधानों को वापस ले लिया। प्रीफ़ैब शौचालयों हेतु पीएफसी, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी, ओएनजीसी और सीआईएल (सहायक कंपनियां एमसीएल, एनसीएल और डब्ल्यूसीएल), एनटीपीसी ने न तो एमओयूज़/ संविदाओं में रखरखाव का कोई प्रावधान किया और न ही विद्यालय प्रबंधन को निधियां उपलब्ध करायी। रखरखाव व्यवस्थाओं की कमी शौचालयों के प्रयोग न होने के प्रमुख कारणों में से एक था। सर्वेक्षण से आगे यह पता चला कि लेखापरीक्षा नमूने में 1,967 सहशिक्षा विद्यालयों में से 99 विद्यालयों में कोई कार्यशील शौचालय नहीं था और 436 सहशिक्षा विद्यालयों में मात्र एक शौचालय था। अतः सीपीएसईज़ ने इन विद्यालयों में बालकों और बालिकाओं के लिए कम से कम एक कार्यशील शौचालय उपलब्ध करने का अपना अधिदेश पूर्ण नहीं किया।

सीपीएसईज़ के लिए शौचालयों का निर्माण शुरू करने से पहले चिन्हित विद्यालयों में सर्वेक्षण कराना अनिवार्य था। किन्तु पीएफसी और सीआईएल (सहायक कंपनी - एसईसीएल) ने सर्वेक्षण नहीं कराया जबकि सर्वेक्षण कराने वाले अन्य सीपीएसईज़ ने अपने द्वारा चिन्हित सभी विद्यालयों को शामिल नहीं किया किस्से संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं हुआ।

सात सीपीएसईज़ ने 65 प्रतिशत शौचालय स्वयं निर्मित किये और बकाया 35 प्रतिशत एस जी एज़ को सौंप दिए, क्योंकि काम देरी से चल रहा था। सीपीएसईज़ की अधिनिर्णय प्रक्रिया ही मई 2015 तक पूर्ण हो पाई। चूँकि निर्माण काल के लिए चार माह का समय चाहिए था, अतः सीपीएसईज़ द्वारा 15 अगस्त 2015 तक सभी शौचालयों का निर्माण करने सम्बन्धि सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। फिर भी सीपीएसईज़ ने सभी शौचालय समय पर पूरे किये गए घोषित किये, लेखापरीक्षा को केवल 40 प्रतिशत शौचालयों के पूर्ण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए गए उनमें से केवल 33 प्रतिशत शौचालय ही नियत तिथि तक पूर्ण किये जा सके। यह गलत सूचना एमएचआरडी व एमओपी/ एमओसी आंकड़ों के अनुसार पूर्ण किये जा चुके शौचालयों के आंकड़ों में विसंगति से स्पष्ट उजागर है।

एमएचआरडी ने शौचालयों का मानक डिजाईन विहित किया, लेकिन सीपीएसईज़ को सुधार करने हेतु शौचालयों को डिजाईन करने में स्वतंत्रता प्रदान की। चार सीपीएसईज़ (एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, पीएफसी, आरईसी तथा सीआईएल) ने डिजाईन स्तर पर ही पानी की अबाधित आपूर्ति, हाथ धोने की सुविधायें तथा मूत्रालय जैसी मूलभूत सुविधाए उपलब्ध नहीं करवाई जिससे शौचालयों की उपयोगिता प्रभावित हुई। इसके अलावा, सीपीएसईज़ (एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, पीएफसी, आरईसी तथा सीआईएल) ने लगभग 40 प्रतिशत शौचालय प्रीफ़ैब तकनीक से बनाये, जबकि प्रशासनिक मंत्रालय तथा एमएचआरडी ने इन्हें शौचालयों में प्रीफ़ैब ढांचे प्रयोग करने से विशेषत: मना किया था। प्रीफ़ैब शौचालय में कम मजबूती एवं उपयोग काल कम वाले होने के साथ, ₹150.46 करोड़ की उच्चतर लागत भी शामिल की। इसके अलावा, कार्यान्वयन एजेंसियों को उच्चत्तर दर पर कार्यान्वयन प्रभारों के भुगतान के कारण ₹49.30 करोड़ की अतिरिक्त लागत भी वहन की गयी, जबकि ये एजेंसियां सीवीसी दिशानिदेशों के उल्लंघन में नामांकन आधार पर नियुक्त की गयी थीं।

5.2 सिफारिशें

- मंत्रालय निर्मित के रूप में दावा किए गए अस्तित्वहीन/ अपूर्ण शौचालयों के मामलों की जांच करें; शौचालयों के समय पर पूर्ण करने संबंधी गलत सूचना और पूर्ण किए गये शौचालयों के आंकड़ों में विसंगतियों की भी जांच की जाये।
- सीपीएसईज़/ मंत्रालय शौचालयों में मूलभूत सुविधाओं जैसे कि अबाधित जलापूर्ति, हस्त प्रक्षालन सुविधा, मूत्रालयों, प्रयुक्त जल की निकासी इत्यादि के अभाव का समाधान करें।

- सीपीएसईज़/ मंत्रालय शौचालयों की निरंतर प्रयोगात्मकता सुनिश्चित करने हेतु उनके नियमित रखरखाव के मसलों का समाधान करें।
- इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समय, भौगोलिक टैग चित्रों द्वारा निगरानी भी की जाए।
- चूँकि लेखापरीक्षा सर्वेक्षण में कुल शौचालयों का 2 प्रतिशत शामिल किया गया, अतः सीपीएसईज़ को बकाया 98 प्रतिशत शौचालयों में स्वयं समीक्षा/ सर्वेक्षण करने तथा त्रुटियों के सुधार हेतु उपयुक्त कार्यवाई करने का परामर्श दिया जाता हैं।

वेंकटेश मोहन

नई दिल्ली
दिनांक: 27 दिसम्बर 2019

(वेंकटेश मोहन)
उप-नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक
(वाणिज्यिक)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 27 दिसम्बर 2019

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक